जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

31.10.19 बार संघ का कार्य स्थगन प्रस्ताव/हड़ताल के कारण अभिभाषकगण उपस्थित नहीं। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 12.12.19 को पेश हो।

12.12.2019 वादी अधिवक्ता उपस्थित तहसीलदार हनुमानगढ़ से विभाजन प्रस्ताव दिनांक 03.12.2019 को प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी के अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर कोई एतराज जाहीर न करते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किये जानें के कथन किये।

वादी अधिवक्ता के कथनों पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन तहसीलदार हनुमानगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं होनें पर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जानें के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत होनें पर अन्तिम डिक्री जारी हो।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.12.19 वकील वादी द्वारा निर्णय दि० 12.12.19 की पालना में डिक्री जारी करवाने बाबत स्टाम्प पेश किया शामिल पत्रावली किया जाकर डिक्री जारी कर शामिल पत्रावली की गई है।

Scanned by CamScanner

(6)

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20, नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– कपिल यादव आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 165/2019

1 मलकीत सिंह पुत्र पुन्नुराम जाति बाजीगर निवासी जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)।

2 पतराम पुत्र बाबुलाल जाति नायक निवासी भगत सिह नगर, घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज.)। — — **वादीगण**

–:: बनाम ::–

1 बुधराम
2 मगंलाराम
3 सोहनलाल
} पिसरान भूरिया अकवाम सांसी निवासी जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)

4 तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़ — — **प्रतिवादीगण**

दावा अन्तर्गत धारा :– 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् विभाजन

निर्णय दिनांक :– 12.12.2019

वादीगण की और से श्री वतनदीपसिंह मान अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के विरूद्ध दिनांक 22.07.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही होने तथा प्रतिवादी संख्या 4 की और से राज पैरोकार इस वाद में आज दिनांक 21.12.19 को कपिल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है, कि तहसीलदार हनुमानगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के सन्दर्भ में वादीगण के विद्धान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस वादी के अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति जाहीर नहीं करनें पर तहसीलदार हनुमानगढ़ द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत उभयपक्ष की खातेदारी भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :–

1. वादी संख्या 1 मलकीत सिंह पुत्र पुन्नुराम जाति बाजीगर निवासी जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ (राज.)के हक हिस्सा की 0.677 हैक्टर भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
4 जे.आर.के.	99/245 (41)	13/.202, 18/.253, 22/.049, 23/.164, 24/.009	0.677 हैक्टर

2. वादी संख्या 2 पतराम पुत्र बाबुलाल जाति नायक निवासी भगत सिह नगर, घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज.) के हक हिस्सा की 0.453 हैक्टर भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
4 जे.आर.के.	99/245 (41)	12/.097, 19/.253, 22/.103	0.453 हैक्टर

3. प्रतिवादी संख्या 1, बुधराम की 0.225 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 2 मंगलाराम उर्फ मंगाराम की 0.226, तथा प्रतिवादी संख्या 3 की 0.451 हैक्टर भूमि का विवरण :–

चक नम्बर	पत्थर नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
4 जे.आर.के.	99/245 (41)	10/.076, 11/.253, 12/.156, 20/253, 21/.164	0.902 हैक्टर

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में अपील की मियाद अवधी के पश्चात उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 26.12.19 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मुहर

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.01.01 17:11:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: